फर्द अहकाम

निर्मला देवी बनाम मोतीराम

यालय

ख्या 177/2014

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/1/22 पेश [illegible] अतः [illegible] दिनांक 25/1/22
3/2/22	फाइलों मूल वाद में बिना अपील पेश करने पर खारिज की गई [illegible] के आधार पर खारिज किया जा चुका है अतः इस मुकदमे में व्यवस्था प्रा० पत्र का अपील चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से वाद अस्वीकृत निरस्तीकरण प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।
अ. कि निर्मला [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

उपखण्ड [illegible]
जयपुर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:54:22 IST
Reason: SelfAttested